न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 90/2020 बउनवानी अमरजीत सिंह बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार खण्डार पुत्र श्री सरवन सिंह , निवासी दौलतपुरा, तहसील खण्डार

GCMS No-2020/00179

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
19.01.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं तहसीलदार खण्डार की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 18.9.2020 को सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:– 1. ग्राम पंचायत दौलतपुरा के सरपंच द्वारा अमरजीत सिंह पुत्र सरवन सिंह निवासी दौलतपुरा की गयी शिकायत व विभाग द्वारा की जॉच की प्रमाणित प्रतिलिपि। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम के नियम 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक रीडर/सूकाअ/2020/1219 दिनांक 24.12.2020 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 18.9.2020 मे चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण यथा शिकायत की दिनांक इत्यादि अंकित नही करने के कारण चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण यथा शिकायत की दिनांक इत्यादि अंकित करने बात जरिये पत्रांक रीडर/2020/956 दिनांक 29.9.2020 जरिये रजिस्टर्ड डाक से लिखा गया था किन्तु आवेदक द्वारा चाही गयी सूचना की दिनांक अंकित कर कार्यालय को नही भिजवायी जाने के कारण अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 18.9.2020 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण यथा सरपंच द्वारा किस दिनांक को शिकायत की गयी है के संबंध मे पूर्ण विवरण अंकित नही किया गया था जिसके संबंध मे तहसीलदार खण्डार के पत्रांक रीडर/2020/956 दिनांक 29.9.2020 से अपीलान्ट को लिखा गया था कि ग्राम पंचायत दौलतपुरा के सरपंच द्वारा अमरजीत सिंह की गयी शिकायत का स्पष्ट विवरण मय दिनांक एवं विषय सहित अंकित कर भिजवावे,किन्तु अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार खण्डार को शिकायत की दिनांक इत्यादि के संबंध मे आदिनांक तक कोई जानकारी उपलब्ध नही करवायी गयी है। चूंकि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना (शिकायत) की दिनांक अंकित नही होने के कारण सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नही है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है एवं अपीलान्ट को निर्देशित किया जाता है कि चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण यथा दिनांक इत्यादि अंकित करते हुए नये सिरे से प्रार्थना पत्र तहसीलदार खण्डार के कार्यालय मे प्रस्तुत करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (राजेन्द्र किशन) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.06.09 17:34:27 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर